उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या48 /2019/515/92-2-19-45जॉच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 27 फरवरी 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से संबंधित कार्यो में बरती गयी उदासीनता, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कराये गये कार्य तथा कार्यो पर अत्याधिक शिथिल निरीक्षण किये जाने के कारण मार्गो में हुई खराब स्थिति के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-04मं0आ0/92-2014-44जांच/2014 दिनांक 06.06.2014 द्वारा श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-देवरिया को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुये श्री सिद्दीकी को निलम्बन अवधि में कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया। प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3905/92-2014-45जांच/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-27/49मं0आ0/92-2014-45जांच/14 दि0 18.11.2014 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री के0ए0 सिददीकी का निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद द्वारा बार-बार निर्देशित/अनुस्मरण कराये जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी श्री सिददीकी का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रकरण में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत पत्रांक-958/दि0 02.06.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी को अंतिम अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुये बचाव उत्तरउपलब्ध कराने तथा दिनांक 18.06.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपने कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपचारी अधिकारी श्री सिददीकी के पत्रांक-490/दि0 05.06.2016 द्वारा बचाव उत्तर दिये जाने व व्यक्तिगत सुनवाई हेतु 01 माह का अतिरिक्त समय मांगा गया। पुन: जांच अधिकारी के पत्रांक-1265 दि0 22.06.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी को दि0 30.06.2016 तक अपना बचाव उत्तर उपलब्ध कराने एवं दि0 06.07.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। श्री सिददीकी के पत्र दि0 29.06.2016 द्वारा अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया तथा रमजान, रोजा एवं दि0 07.07.2016 को ईद के दृष्टिगत श्री सिददीकी के अनुरोध पर दि0 30.07.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। तदोपरान्त अपचारी अधिकारी को सुनवाई/मौखिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता परि0 फैजाबाद के पत्र सं0-2397/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/जांच-अनु0का0/अधि0 अभि0/2016 दि0 29.08.2016 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता परि0 फैजाबाद की उक्त जांच आख्या एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या दिनांक 21.08.2014 में पायी गयी कतिपय भिन्नताओं की स्थिति स्पष्ट करते हुये पुन परीक्षण कर नवीन जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 25.04.2017 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद को निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद के पत्र संख्या-4445/ग्रा0अ0 वि0/ अनु0का0/अधि0अभि0/2017-18 दिनांक 10.01.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0 फैजाबाद की जांच आख्या दिनांक 10.01.2018 में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से आरोप संख्या-1 व 2 स्थापित नही पाये गये तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया। आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप संख्या-3 के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री के0ए0 सिददीकी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र सं0-122/92-2-18-45जांच/2014 दिनांक 16.02.2018 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया जो उनके पत्रसं0-586/ग्रा0अ0वि0/ 2017-18 दि0 15.03.2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री सिददीकी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप संख्या-3 तथा श्री सिददीकी के अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-3</u>

पी0आई0यू0-देवरिया में फेज-10 के अंतर्गत 17 अपग्रेडेशन के मार्गो में प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षित 06 मार्गो पर अनुबंध की शर्तो के अनुसार पी0एम0सी0 पेवर से कराया जाना नही प्रतीत हुआ। पी0एमसी0 कराने से पूर्व जी-3 की प्रापर सफाई नही हो रही है, जिससे जी-3 और पी0एम0सी0 के मध्य बान्ड नही बन रहा है। ऐसी स्थिति में पी0एम0सी0 शीघ्र क्षतिग्रस्त होगी। उक्त के अतिरिक्त संबंधित सहायक अभियंताओं द्वारा रिकार्ड मापों की शत-प्रतिशत चेकिंग माप पुस्तिका में नही की जा रही है। अस्तु शिथिल निरीक्षण के कारण अधोमानक कार्य होने की पुष्टि हो रही है। अत: आपका अधीनस्थ तकनीकी स्टाफ पर शिथिल नियंत्रण परिलक्षित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

आरोप सं0-3 के क्रम में श्री सिददीकी द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी अधिशासी अभियंता के स्तर पर निर्माण कार्य के प्रतयेक कार्य मदों के सभी स्थानों पर विशिष्टियों का अनुपालन हुआ अथवा नही इसका सत्यापन कदापि संभव ही नही होता तथा कराये गये निर्माण कार्यो में कार्य के विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने (पूर्व में संलग्न मानीटर की जांच आख्या) के उपरांत भी पी0एम0सी0 पूर्व प्रापर सफाई नही कराये जाने का उल्लेख उचित नही है तथा यह आंकलन भी नेत्र दृष्टि के अनुसार संतुष्टि अथवा असंतुष्टि पर निर्भर करता है। अतएव टी0ए0सी0 की जांच आख्या में आरोपित आरोप कल्पना एवं संभावना पर आधारित है। उनके द्वारा कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रकों के स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी न होने के उपरांत भी टी0ए0सी0 द्वारा योजना के गुणवत्ता निश्चित रखने हेतु परिचालित व्यवस्था के विपरीत कार्यो का निरीक्षण करते हुये कार्यो में कमियां इंगित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना -

एस0क्यू0एम0 की रिर्पोटों का कोई संज्ञान में न लेते हुये एवं पेवर से कार्य न कराने की संभावना तथा मात्र कुछ क्षेत्रफल की जांच के आधार पर समुचित सफाई न होने के कारण जी-3 एवं पी0एम0सी0 का बाण्ड मजबूत न होने की संभावना के आधार पर कार्य अधोमानक होने का आरोप स्थापित नही होता है परन्तु सहायक अभियंताओं द्वारा रिकार्ड मापी की चेंकिग् शतप्रतिशत न करने तथा कार्यालय स्टाफ पर समुचित नियंत्रण न रखने के संबंध में श्री सिददीकी द्वारा उक्त कार्यवाही करने के लिये कोई आदेश/निर्देश से संबंधित कोई पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत शिथिल नियंत्रण की स्थिति पायी गयी।

आरोप संख्या-3 के संबंध में जांच अधिकारी का निष्कर्ष :-

आरोप सं0-3 शिथिल नियंत्रण के लिये आंशिक रूप से स्थापित पाया गया।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

श्री के0ए0 सिददीकी द्वारा सहायक अभियंताओं एवं कार्यालय स्टाफ पर अपेक्षाकृत शिथिल नियंत्रण हेतु जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप संख्या-3 के संबंध में अवगत कराया गया है कि माप पुस्तिका की चेकिंग के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0-77पी0डब्ल्यू0/545 एम0 टी0/52एम/77/92, दि0 10.02.1992 में सहायक अभियंताओं का दायित्व निर्धारित किया गया है। प्राविधिक परीक्षक द्वारा भी उपरोक्त के लिये संबंधित सहायक अभियंताओं को उत्तरदायित्व निर्वहन न करने के लिये उत्तरदायी बताया गया है। जहां तक सहायक अभियंताओं को निर्देश जारी करने का प्रश्न है, के क्रम में श्री सिददीकी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय के पत्र सं0-2938 दिनांक 25.11.2013, पत्र सं0-200/दि0 09.05.2014, पत्र सं0-23 दि0 13.01.2014, पत्र सं0-2970 दिनांक 03.12.13, पत्र सं0-2637 दि0 19.08;2013, पत्र सं0-26 दि0 23.11;013, पत्र सं0-2638 दि0 19.08.2013, पत्र सं0-110 दि0 06.03.2014, पत्र सं0-112 दि0 06.03.2014, पत्र सं0-42 दि0 28.01.2014, पत्रसं0-42 दि0 28.01.2014, पत्र सं0-41 दि0 28.01.2014, पत्र सं0-52 दि0 23.05.2014, पत्र सं0-09 दि0 15.10.2013, पत्र सं0-13 दि0 15.10.2013, पत्र सं0-3056 दि0 24.12.2013, पत्र सं0-22 दि0 13.01.2014,पत्र सं0-3057 दि0 24.12;2013, पत्र सं0-119 दि0 06.05.2014 एवं पत्र सं0-190 दि0 06.05.2014 एवं अन्य पत्रों के द्वारा सहायक अभियंताओं एवं ठेकेदारों को समय-समय पर निर्माण कार्यो के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पी0 आई0यू0-देवरिया में फेज-10 के अंतर्गत मार्गो के अपग्रेडेशन कार्य कराये जाने के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत शिथिल नियंत्रण हेतु श्री के0ए0 सिददीकी आंशिक रूप से दोषी है। अतएव श्री के0ए0 सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-देवरिया के विरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.06.2014 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य में निर्माण कार्यो को और अधिक सजग होकर करने हेतु सचेत करते हुये एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-48/2019/515/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री के0ए0 सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-देवरिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।